न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/179 दायरा दिनांक 16.12.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्दराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी :— खाजूवाला जिला—बीकानेर, राजस्थान।	बनाम्	1. भागीरथ पुत्र नानूडा 55 वर्ष 2. नाथूराम पुत्र शिवराम 38 वर्ष 3. जीवणी पत्नि सूवाराम 72 वर्ष 4. हेमाराम पुत्र सूवाराम 30 वर्ष 5. धोलाराम पुत्र सूवाराम 25 वर्ष 6. पप्पूराम पुत्र सूवाराम 20 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी बेडवा तह. डीडवाना 7. प्रबन्धक भूमि विकास बैक डीडवाना 8. तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित—

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 06.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 नानूडा उर्फ नानूराम मेघवाल निवासी बेडवा के वारिसान है।

वर्तमान खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, ख. न. 602/256 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद बेडवा है, जो कि साबिक में मृतक नानूडा उर्फ नानूराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। नानूडा उर्फ नानूराम के फौत होने के पश्चात इन दोनो खसरा नम्बरान भूमि की खातेदारी उसके पुत्रान सूवाराम, हनुमान, शिवराम, व भागीरथ के नाम से जरिये फौतगी नामान्तरकरण के अमल दरामद हुई। इस प्रकार से इन दोनो खसरा नम्बरान की भूमि में से प्रत्येक खसरा की भूमि में नानूडा उर्फ नानूराम के चारों पुत्रो का एक समान हक अधिकार व कब्जा काश्त रहा अर्थात प्रत्येक खसरा में प्रत्येक पुत्र का सम्भावित 1/4

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भाग खातेदारी व कब्जा काश्त का रहा।नकल खतौनी दावा के साथ पेश है।

उपरोक्त वाद के पेरा संख्या 02 में वर्णित खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के खातेदार हनुमान पुत्र नानूडा ने अपनी खातेदारी के सम्पुर्ण सम्भावित 1/4 भाग की भूमि जरिये पंजीकृत बैचाणनामा दिनाकं 05.12.2002 के वादी को विकय कर दी, एवं अपनी खातेदारी के विकयाधीन सम्पुर्ण सम्भावित 1/4 भाग की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि हस्व जैल पडौस बीच का मौके पर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया, जिस पर तब से वादी लगातार काबिज चला आ रहा है।

उत्तरः—आम रास्ता झाडोद — दक्षिणः— गोचर भूमि
पूर्व :— राजूराम दमामी का खेत — पश्चिमः—इसी खसरा की शेष भूमि

उक्त खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के खातेदार हनुमान के द्वारा विक्रीत सम्पुर्ण सम्भावित भाग की भूमि का वादी के नाम से नामान्तरकरण भरा जाकर हनुमान के स्थान पर वादी को खातेदार अंकित कर दिया गया जो कि प्रस्तुत नकल खतोनी से स्पष्ट है।

स्व. नानूडा उर्फ नानूराम के फौत होने के पश्चात उसके चारो पुत्रो के बीच आपसी सहमति से मौके पर बन्टवारा हो चुका था एवं उसी के मुताबिक हनुमानराम खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के सम्भावित 1/4 भाग की पूर्व की और की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर काबिज था, जिसे वादी को विकय करके मौके पर कब्जा सुपुर्द किया, मगर इस खसरा के खातेदार के बीच उस वक्त विधिवत बन्टवारा नही होने से खातेदारी संयुक्त अकित थी, और अब वादी व दीगर खातेदारान के बीच भी संयुक्त खातेदारी अकिंत है, जिससे वादी को यह दावा बन्टवारा का करना लाजमी आया है।

यधपि वादी खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा में से वाद के पद संख्या 03 में वर्णित पडौस बीच की अपनी कयसुदा कबजासुदा स्वामित्व की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर साधिकार काबिज चला आ रहा है।मगर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त अंकित होने से उक्त खसरा के दीगर खातेदारान प्रतिवादीगण के मन में लालच पैदा होने लगा है वे वादी को परेशान करने की नियत से बेदखली की धमकी देने लगे है।ऐसा करने कराने का प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नही है।प्रतिवादीगण की बैजा धमकियो से वादी को अजहद नुक्शान होगा जिसकी पूर्ति नगदी से नही हो सकेगी। कई मुकदमाबाजी होगी। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेघाज्ञा का करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी है कि

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के बीच संयुक्त खातेदारी में अकित खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा का विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के किया जाकर वादी को उपरोक्त वाद संख्या 02 में वर्णित खेत खसरा नम्बरान में से खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के पुर्व खातेदार हनुमान की खातेदारी के सम्पुर्ण सम्भावित भाग की वादी को विकीत 1/4 भाग की वाद कें पद संख्या 03 में वर्णित पडौस बीच की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि बन्ट में दिलाई जावें एवं उसकी स्वतन्त्र खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकिंत किया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि भविष्य में वादी की खातेदारी की बन्ट में आई हुई कब्जा काश्त की उपरोक्त वाद के पद संख्या 03 में वर्णित खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप न तो वे स्वयं करे और न अन्य किसी से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 20.02.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 व 08 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 व 06 ता 08 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर में उपस्थित हुय और दावा डिग्री किये जाने का निवेदन किया।वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के बीच संयुक्त खातेदारी में अकित खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा का विधिवत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के किया जाकर वादी को उपरोक्त वाद संख्या 02 में वर्णित खेत खसरा नम्बरान में से खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के पुर्व खातेदार हनुमान की खातेदारी के सम्पुर्ण सम्भावित भाग की वादी को विक्रीत 1/4 भाग की वाद कें पद संख्या 03 में वर्णित पडौस बीच की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि बन्ट में रखी जाकरं उसकी स्वतन्त्र खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकिंत किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **06.06.2017** को कोर्ट कैम्प बेगसर में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/179**

दायरा दिनांक **16.12.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्दराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी :– खाजूवाला जिला–बीकानेर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. भागीरथ पुत्र नानूडा 55 वर्ष 2. नाथूराम पुत्र शिवराम 38 वर्ष 3. जीवणी पत्नि सूवाराम 72 वर्ष 4. हेमाराम पुत्र सूवाराम 30 वर्ष 5. धोलाराम पुत्र सूवाराम 25 वर्ष 6. पप्पूराम पुत्र सूवाराम 20 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी बेडवा तह. डीडवाना 7. प्रबन्धक भूमि विकास बैक डीडवाना 8. तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक **06.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के बीच संयुक्त खातेदारी में अकित खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा का विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के किया जाकर वादी को उपरोक्त वाद संख्या 02 में वर्णित खेत खसरा नम्बरान में से खेत ख. न. 344 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, वाके शरहद बेडवा के पुर्व खातेदार हनुमान की खातेदारी के सम्पुर्ण सम्भावित भाग की वादी को विक्रीत 1/4 भाग की वाद कें पद संख्या 03 में वर्णित पडौस बीच की 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि बन्ट में रखी जाकरं उसकी स्वतन्त्र खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकिंत किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner